झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

सी0एम0पी0 संख्या–359 / 2019

गीता देवी ठाकुर, उम्र लगभग 62 वर्ष, सुबोध कुमार ठाकुर की पत्नी, ग्राम–झिकटी, डाकघर–मनीगढ़ी, थाना–सरवन, जिला–देवघर के निवासी, वर्तमान में सावित्री सदन, बिलसी टाउन, बैद्यनाथ टॉकीज के पास, देवघर टाउन, डाकघर एवं थाना–बी0 देवघर, जिला–देवघर, किराएदार के रूप में। ..... याचिकाकर्ता

बनाम

1. अभिजात आनंद
2. नीतीश आनंद, पे0 स्वर्गीय मनोज कुमार झा, दोनों निवासी–पोखनातिला, देवघर, डाकघर एवं थाना–बी0 देवघर, जिला–देवघर।

..... विपक्षीगण

कोरमः **माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी**

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से

10 / 16.10.2020

1. श्री बीरेंद्र कुमार, याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. श्री संदीप ठाकुर, विपरीत पक्षों की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता को सुना।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि वर्तमान मामला द्वितीय अपील संख्या 214 / 2010 की पुनःस्थापन के लिए दायर किया गया है, जिसे 07.05.2019 के

आदेश द्वारा गैर–उपस्थिति के कारण डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि उन्होनें याचिका में कहा है कि उस विशेष दिन, वह किसी अन्य अदालत में एक मामले पर बहस कर रहे थे और उस समय तक, वह वर्तमान मामले के संबंध में अदालत के कमरे में पहुंचे, मामले को खारिज कर दिया गया और बाद में वह मामले को खारिज करने के बाद भी काफी कुछ के लिए अदालत के कमरे में रहे।

4. विपरीत पक्ष–राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया है और निवेदन किया है कि बार–बार मामला को स्थगित कर अवसर दिया गया था और डिफॉल्ट न केवल 07.05.2019 को था, बल्कि पहले के अवसर पर भी था।

5. इस पर, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि यह विवाद जमीन से संबंधित एक एडमिटेड सेकेण्ड अपील है और यदि सेकेण्ड अपील पुनःस्थापित नहीं की जाती है, तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

6. पार्टियों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने और वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए कारण से संतुष्ट होने के बाद, एस0ए0 संख्या 214/2010 में पारित दिनांक 07.05.2019 के आदेश को वापस लिया जाता है और उक्त सेकेण्ड अपील को 10,000/– रूपये की लागत (याचिकाकर्ता द्वारा विपरीत पक्ष के वकील के माध्यम से विपरीत पक्ष को) के भ्रगतान के अधीन अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित की गई है।

7. 10,000/– रूपये की लागत की रसीद सी0एम0पी0 सं0 359/2019 में अधिक से अधिक 27.11.2020 तक दायर की जानी चाहिए।

8. यदि रसीद दायर की जाती है, तो एस0ए0 सं0 214/2010 अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित होगा और कार्यालय उक्त सेकेण्ड अपील को रोस्टर के अनुसार उपयुक्त बेंच के समक्ष रखेगा।

9. तदनुसार, इस याचिका की अनुमति है।

(अनुभा रावत चौधरी, न्याया0)